

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।


क्रमांक:—उ-2(3)आरपीए/जन/घोड़े/2023/6576

दिनांक :- 26/11/24

संस्था स्थित चेतक रिसाला के घोड़ों की गर्म नालबंदी करवाने बाबत।


RTPP Act, 2012 की धारा 31(क) एवं नियम-2013 के नियम 17 के तहत एकल स्रोत प्रणाली से इस संस्था स्थित चेतक रिसाला के 36 घोड़ों के चारो पैरो की गर्म नालबंदी करवाने हेतु एकल फर्म मैसर्स सत्यपाल सिंह, 246, A/1z, Block New, roshanpura, Najafgarh, Delhi को आमंत्रित किया जाता है। जिसकी अनुमानित राशि 65000/- प्रति माह है। गर्म नालबंदी प्रति माह की जावेगी।

फर्म 3 दिवस में अपने कोटेशन लेकर उपापन समिति के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को 11:00 बजे उपस्थित हो। इस संबंध में किसी को भी आपत्ति हो तो कार्यालय समय में दर्ज करवा सकते है। तो दिनांक 29.11.2024 को 11.00 बजे तक इस कार्यालय की उपापन समिति को प्रस्तुत करे। इस सूचना के जारी होने के 3 दिवस में लिखित रूप से भी email id: director.rpa@rajpolice.gov.in पर प्रस्तुत कर सकते है।


सहायक निदेशक(प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त सदस्य उपापन समिति आरपीए जयपुर।
2. प्रोग्रामर आरपीए जयपुर को भेजकर लेख है, कि उक्त सूचना राजस्थान पुलिस की वेबसाईट व पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
3. नोटिस बोर्ड आरपीए जयपुर।


सहायक निदेशक(प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।